तथा उसके क्या कारण है और इसके पुनर्गठन के बाद क्या-क्या लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे, और

(ड.) क्या सरकार इसके लिए सहमत हो गई है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है,

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) जी हां । पिछले तीन वर्षो के दौरान एस.टी.सी. द्वारा प्राप्त कर पूर्व लाभ का वर्षवार नीचे दिया गया है :-

वर्ष	करोड़ रू. में
1992-93	26.93
1993-94	29.97
1994-95	41.04

(ग) से (ड.) अब तक एस.टी.सी. के जरिए सरणीकृत कई मदों के निर्यात और आयातके सरणीयन को समाप्त कर देने के फलस्वरूप सरका एस.टी.सी. के कार्य संचालन को उदारीकृत अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धा वातावरण के अनुरूप बनाने की जरूरत की पुनरीक्षा कर रही है । अपने व्यापारिक क्रिया-कलापों को व्यपाक बनान के एक भाग के रूप में, खासकर गैर-सरणीयन क्षेत्र में, एस.टी.सी.प्रमुख काग्रक्रमों का विविधिकरण कर रही है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित कार्य-योजनाएं अपना कर अगले पांच वर्षो के भीतर 5,000 करोड़ रू. का वार्षिक कारोबार हासिल करना है ।

- सीधे खरीद और ब्रिकी पर जोर देना,
- विदेशों में विपणन नेटवर्क को मजबूत करना,
- सी आई एस देशों के साथ अधिक व्यापार करना,
- संयुक्त उद्यम स्थापित करना,
- ओ जी एल आयात करना,
- घरेलु व्यापार बढ़ाना ।

चीनी नीति में परिवर्तन

1366. **श्री सुंदर सिंह भंडारी** : क्या खाद्य मंत्री यह बतानेक की कृपा करेंगे कि:

(क) गन्ना उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए चीनी नीति में क्या परिवर्तन किए गए हैं,

(ख) गन्ना उत्पादकों के लिए कौन-सी नई व्यवस्थाएं की गई है,

(ग) चीनी की उपलब्ध्ता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए है, और

(घ) गन्नें के अन्य उपयोगी संबंधी योजना क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह): (क) से (ग) 1994-95 मौसम में चीनी और गन्नें का बहुत अच्छा उत्पादन होने और 1995-96 मौसम में भी बहुत अच्छा उत्पादन होने के संकेत मिलने के कारण चीनी गति में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं किया गया है । तथापि, 1.1.1996 से लेवी चीनी के आंवटन में संशोधन किया गया है जो 1986 की जनसंख्या की बजाय 1991 की जनसंख्या पर आधारित है । इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये 2.16 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध होगी ।

(घ) चीनी के अलावा, गन्नें का इस्तेमाल गुड़ और खंडसारी के उत्पादन में भी हो रहा है । अच्छे उत्पादन को ध्यान में रखते हुए गुड़ (नियंत्रण) आदेश, 1994 को प्रभावी नहीं पाया गया और इसे रद्द कर दिया गया ।

Non-payment of minimum wages to workers

1367. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether workers in various parts of the country are not being paid the minimum wages fixed;

(b) if so, whether Government have set up a Central Industrial Relation Machinery for the implementation of the Minimum Wages Act;

(c) if so, when was this set up and the average total amount being spent by Government on this; and

(d) what is the total number of cases investigated by this machinery so far and number of cases found to be irregular and names of the States in respect of which maximum and minimum irregular cases have been detected respectively?

THE MINISTER OF LABOUR